प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक– 16.10.2021–(थाना कुण्डा)

अपने विपक्षियों को फंसाने व मोटर साइकिल बीमा की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से,

50 हजार रू0 नगद, मोटर साइकिल व मोबाइल फोन लूट की झूठी सूचना देकर अभियोग पंजीकृत करवाने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना से सम्बन्धित मोटर साइकिल, नगदी व मोबाइल फोन बरामद।

वादी मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री भारत लाल यादव नि0 मुसन्नापुर बसवाही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा यह सूचना दी गई कि दिनांक 10.10.2021 को उनकी मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्रो, 50 हजार रू0 नगद व एक मोबाइल फोन, काली पल्सर सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छीन लिया गया है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 339/21 धारा 392 भादवि बनाम तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा उक्त अभियोग के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कुण्डा को कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में उक्त मुकदमें की विवेचना के दौरान वादी मुकेश कुमार यादव द्वारा घटना के सम्बन्ध में बताई गई बातों से घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। इस पर पुलिस द्वारा जब वादी मुकेश कुमार यादव से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह और उसका रिस्तेदार सौरभ यादव उर्फ राम बाबू पुत्र शम्भूनाथ यादव नि0 पीथीपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से लूट की झूठी सूचना दी थी। वादी द्वारा अपने गांव मुसन्नापुर के विपक्षियों को मुकदमें में फसाने व लूटी गई मोटर साइकिल की बीमा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी।

मुकदमें से सम्बन्धित मोटर साइकिल, रूपये व मोबाइल के सम्बन्ध में अभियुक्त मुकेश द्वारा बताया गया कि यह सब मेरे रिस्तेदार सौरभ यादव के पास है। वादी की निशानदेही पर अभियुक्त सौरभ यादव को गिरफ्तार कर घटना से सम्बन्धित मोटर साइकिल, 37,500/– रू0 व मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा बताया गया कि मुकेश के कहने पर मैने उसके खाते में 50 हजार डाले थे, जिसे मुकेश द्वारा निकालकर उसे वापस दे दिया गया था। हम लोग इस मोटर साइकिल को चुपके से अपने विपक्षियों के घर के आसपास कहीं छिपा देते, जिसकी बरामदगी होने पर वह लोग मुकदमें में फंस जाते।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री भारत लाल यादव नि0 मुसन्नापुर बसवाही थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
02. सौरभ यादव उर्फ राम बाबू पुत्र शम्भूनाथ यादव नि0 पीथीपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. घटना से सम्बन्धित एक अदद स्प्लेण्डा प्रो मोटर साइकिल।
02. 37,500/– रू0।
03. घटना से सम्बन्धित एक अदद मोबाइल फोन।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 340/2021 धारा 420, 182, 195, 505(1)बी भादवि बनाम उक्त दोनो अभियुक्त।

पुलिस टीम– उ0नि0 राज्याभिषेक मिश्रा, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी लोकेन्द्र सिंह व आरक्षी रजत कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना फतनपुर)–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर से उ0नि0 श्री श्याम सुन्दर गिरी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/21 धारा 376डी, 363, 354क, 354ख भादंवि व 5जी/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 01. मनीष गौतम पुत्र लालचन्द्र गौतम नि0 नौडेरा, चूरामणि का पुरवा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ 02. अमित कुमार गौतम पुत्र साहेब लाल गौतम नि0 नौडेरा लखनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के सुवंसा ईंट भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. मनीष गौतम पुत्र लालचन्द्र गौतम नि0 नौडेरा, चूरामणि का पुरवा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. अमित कुमार गौतम पुत्र साहेब लाल गौतम नि0 नौडेरा लखनीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री श्याम सुन्दर गिरी, मुख्य आरक्षी राजानाती व आरक्षी विपिन कनौजिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ।